मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

विज्ञप्ति 23 अक्तूबर

छात्र संघ के चुनाव कराने के बारे में उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर स्पष्टीकरण

छात्र संघ के चुनाव कराने के बारे में 10 अक्तूबर 2017 को जेएमआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में रिट याचिका न. 917..2012 ''हमीदुर रहमान बनाम जेएमआई'' संबंधी मामले के दस्तावेज उच्च न्यायालय से उपलब्ध हो गए हैं। इसके अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं:

याचिकाकर्ता ने 2012 मं उच्च न्यायालय में वर्तमान याचिका दायर की जिसमें छात्र संघ के चुनाव कराए जाने को लेकर विश्वविद्यालय को निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

रिट याचिका में नौ छात्रों के समूह ने हस्तक्षेप किया और 28.02.2012 को आवेदन किया कि जामिया के व्यापक शैक्षिक हित में उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए, इन छात्रों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किसी प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था का विरोध किया था। इस आवेदन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिकार्ड पर स्वीकार किया।

तत्पश्चात, उच्च न्यायालय के निर्देश पर फरवरी 2012 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अप्रैल 2012 को एक हलफनामा दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने जुलाई 2012 को याचिकाकर्ता को अपना जवाब देने का एक और अवसर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपना जवाब नहीं दिया और माननीय न्यायालय ने इस मामले को 2013 में नियमित मामलों में डाल दिया।

इस कानूनी बाधा का समाधान केवल याचिकाकर्ता की वर्तमान याचिका वापस लेकर और साथ ही हस्तक्षेप करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन वापस लेकर ही हो सकता है।

विश्वविद्यालय फिर से इस बात को दोहराता है कि अगर कानूनी बाधा समाप्त हो जाती है तो वह मामले के नतीजे के आधार पर छात्र संघ के चुनाव कराने पर विचार करने को तैयार है।

प्रो साइमा सईद

मीडिया कोऑर्डनैटर